रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2012/माघ 13, 1933
No. 182] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2012/MAGHA 13, 1933

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2012

का.आ. 207(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा कोयला खानों की नीलामी नियम, 2012 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से खान और खजिन (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) अभिप्रेत है;

(ख) "कोयला" में एंथ्रासिट, बिटुमेनी, लिगनाइट पीट, और कोयला और कोक के रूप मे भी विक्रीत या विपणित किसी अन्य रूप में कार्बनमय पदार्थ सम्मिलित है;

(ग) "न्यूनतम निर्णीत कीमत" से प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के लिए प्रस्थापित कोयला क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई न्यूनतम कीमत अभिप्रेत है;

(घ) "आरक्षित कीमत" से कोयला क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई न्यूनतम कीमत अभिप्रेत है जिसे प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से अन्यथा भिन्न रूप में आबंटित किया जाना है;

(2) वे शब्द और पद से जो यहां प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में हैं ।

3. प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयला क्षेत्रों के आबंटन के लिए प्रक्रिया.—(1) केन्द्रीय सरकार,—

(क) प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलमी के माध्यम से आबंटन के लिए कोयले क्षेत्र की पहचान करेगी;

(ख) नीलामी के प्रयोजन के लिए पृथक रूप से प्रत्येक विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए कोयले के क्षेत्रों को उद्दिष्ट करेगी ।

(ग) खंड (क) के अधीन पहचान किए गए क्षेत्रों में कोयला या लिगनाइट ब्लाकों के आबंटन के लिए, अधिनियम की धारा 11क में यथाउल्लिखित विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोगों के कारबार में लिप्त कंपनियों से नीलामी के माध्यम से प्रस्थापनाओं को आमंत्रित करेगी;

(घ) खंड (क) के अधीन पहचान किए गए प्रत्येक क्षेत्र के लिए न्यूनतम निर्णीत कीमत को अधिसूचित करेगा ।

(2) उप-नियम (1) के खंड (ग) में यथाउल्लिखित कंपनियों से अपेक्षा होगी कि वे दो भागों में आमंत्रण के लिए अपनी प्रस्थापना प्रस्तुत करें, अर्थात्:—

(i) तकनीकी बोली; और

(ii) वाणिज्यिक बोली

(3) सफलतापूर्वक बोली बोलने वाले को उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन पहचान किया गया कोयला क्षेत्र आबंटित किया जाएगा ।

4. सरकारी कंपनियों को कोयला क्षेत्र के आबंटन की प्रक्रिया.—(1) केन्द्रीय सरकार,—

(क) अधिनियम की धारा 11क के परंतुक के खंड (क) में यथाउल्लिखित सरकारी कम्पनी या निगम को आबंटन के लिए कोयला क्षेत्र की पहचान करेगी ;

(ख) आबंटन के प्रयोजन के लिए खनन या पृथक रूप से अन्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए कोयले क्षेत्र को उद्दिष्ट करेगी;

(ग) खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्र के लिए आरक्षित कीमत नियत करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार आबंटन के लिए सरकारी कम्पनियों या निगमों से आवेदन आमंत्रित करते हुए पहचान किए गए कोयला क्षेत्रों की सूची राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के संबद्ध मंत्रालयों को परिचालित करेगी ।

(3) संबद्ध राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों से परामर्श करके प्राप्त किए गए आवेदनों पर विचार किया जाएगा ।

(4) कोयला क्षेत्र के आबंटन के लिए पात्र आवेदकों में से किसी कम्पनी या निगम को चयनित किया जाएगा ।

(5) कोयला क्षेत्र चयनित सरकारी कम्पनी या निगम को आबंटित किया जाएगा ।

5. टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर विद्युत परियोजना प्रदान की गई किसी कम्पनी या निगम को कोयला क्षेत्र के आबंटन के लिए प्रक्रिया.—(1) केन्द्रीय सरकार,—

(क) राज्य सरकार से सर्वेक्षण परमिट पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टी को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 11क के परंतुक के खंड (ख) में यथाउल्लिखित टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर विद्युत परियोजना प्रदान की गई किसी कम्पनी या निगम को आबंटन के लिए कोयला क्षेत्र की पहचान करेगी;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्र के लिए आरक्षित कीमत नियत करेगी;

(ग) आबंटन के लिए पात्र सरकारी कम्पनियों और निगमों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए खंड (क) में क्षेत्रों की एक सूची राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के विद्युत मंत्रालय को परिचालित करेगी ।

(2) प्राप्त किए गए आवेदनों पर संबद्ध राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विद्युत मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जाएगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार तत्पश्चात् टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर विद्युत परियोजना प्रदान की गई किसी कम्पनी या परियोजना को आबंटन के लिए चयनित राज्य सरकारों को कोयला क्षेत्र उद्दिष्ट करेगी ।

(4) राज्य सरकारें टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार या कम्पनी पर निगम का चयन करेंगी और ऐसी कम्पनी या निगम को कोयला क्षेत्र के आबंटन की सिफारिश करेंगी ।

(5) कोयला क्षेत्र चयनित कम्पनी या निगम को आबंटित किया जाएगा ।

6. नीलामी के आगम.—नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन नीलामी के आगमों और आरक्षित कीमत को संबद्ध राज्य सरकार को अंतरित किया जाएगा जहां वह क्षेत्र अवस्थित है ।

7. आबंटी कम्पनी के साथ करार.—केन्द्रीय सरकार आबंटिती कम्पनी के साथ करार करेंगी ।

8. उल्लघंन या बाध्यता आदि के न पूरा किए जाने पर कार्रवाई.—करार के या आबंटन के निबंधनों और शर्तों के अधीन बाध्यताओं के उल्लंघन या उन्हें न पूरा न किया जाने की दशा में, सरकार समुचित कार्रवाई करने का अधिकार आरक्षित रखती है जिसमें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् कोयला क्षेत्र को आबंटन रद्द करने का अधिकार भी सम्मिलित है ।

[फा सं. 13016/26/2004-सी.शु I (खंड VI)]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2012

S.O. 207(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following Rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Auction by Competitive Bidding of Coal Mines Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957);

(b) "Coal" includes anthracite, bituminous, lignite, peat and any other form of carbonaceous matter sold or marketed as coal and also coke;

(c) "floor price" means the minimum price fixed by the Central Government for an area containing coal offered for auction by competitive bidding;

(d) "reserve price" means the price fixed by the Central Government for an area containing coal which is to be allotted otherwise than through auction by competitive bidding.

(2) Words and expression used herein but not defined and defined, in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Procedure for allocation of area containing coal through auction by competitive bidding.— (1) The Central Government shall,—

(a) identify area containing coal for allocation through auction by competitive bidding;

(b) earmark areas containing coal for each specified end use separately for the purpose of auction;

(c) invite offers through auction from the companies engaged in the business of specified end uses as mentioned in Section 11A of the Act for the allocation of Coal or lignite blocks in the areas identified under clause (a);

(d) notify a floor price for each area, identified under clause (a).

(2) The companies as mentioned in clause (c) of sub-rule (1) shall be required to submit their offer to the invitation in two parts, namely.—

(i) technical bid; and

(ii) commercial bid.

(3) The successful bidder shall be allocated the area containing coal identified under clause (a) of sub-rule (1).

4. Procedure for allocation of area containing coal to Government companies.—(1) The Central Government shall,—

(a) identify area containing coal for allocation to the Government company or corporation as mentioned in the clause (a) of proviso to section 11A of the Act;

(b) earmark area containing coal for mining or other specified end use , separately for the purpose of allocation;

(c) fix a reserve price for each of the areas specified in clause (a).

(2) The Central Government shall circulate to the State Governments and concerned Ministries of the Central Government list of the areas containing coal identified inviting applications from the Government companies or corporations for allocation.

(3) The applications received shall be considered in consultation with concerned State Governments and the ministries of the Central Government.

(4) The company or corporation for allocation of area containing coal shall be selected from amongst the eligible applicants.

(5) The area containing coal shall be allocated to the selected Government company or corporation.

5. Procedure for allocation of area containing coal to a company or corporation awarded a power project on the basis of competitive bids for tariff.—(1) The Central Government shall,—

(a) identify area containing coal for allocation to a company or corporation awarded a power project on the basis of competitive bids for tariff as mentioned in the clause (b) of proviso to section 11A of the Act for the purpose of obtaining reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease from the State Government;

(b) fix a reserve price for each area specified in clause (a);

(c) circulate to the State Governments and the Ministry of Power of the Central Government a list of the areas in clause (a) for inviting applications from eligible Government companies and corporations for allocation.

(2) The applications received shall be considered in consultation with the concerned State Governments and the Ministry of Power of the Central Government.

(3) The Central Government thereafter shall earmark the area containing coal to the selected State Governments for allocation to the company or corporation awarded a power project on the basis of competitive bids for tariff.

(4) The State Governments shall select a company or corporation on the basis of competitive bids for tariff and recommend for allocation of area containing coal to such company or corporation.

(5) The area containing coal shall be allocated to the selected company or corporation.

6. Proceeds of auction.—The proceeds of the auction under clause (c) of sub-rule (1) of rule 3 and reserve price shall be transferred to the concerned State Government where the area is located.

7. Agreement with allocatee company.—The Central Government shall enter into an agreement with the allocatee company.

8. Action for contravention or non-fulfillment of obligations etc.—In case of contravention or non-fulfillment of the obligations under the agreement or the terms and conditions of allocation, the Government reserves the right to take appropriate action including the right to de-allocate the area containing coal after giving reasonable opportunity of being heard.

[F. No. 13016/26/2004-CA-I (Vol. VI)]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.